न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ, जयपुर
(न्याय आपके द्वार लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम लोहरवाड़ा)
पीठासीन अधिकारी :— श्री प्रियव्रत सिंह चारण (R.A.S.)

मुकदमा नं0:—44/2013

उनवान

गोपी पुत्र भूरा, जाति अहीर, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—वादी

बनाम

1. प्रभूदयाल पुत्र नाथूराम
2. सुरंजाराम पुत्र नाथूराम
3. जीवणराम पुत्र नाथूराम
4. श्रवणराम पुत्र नाथूराम
5. गुल्ली पत्नि नाथूराम
6. फूलचन्द पुत्र बंशी
7. मदन पुत्र बंशी
8. शिवभगवान पुत्र सुवा
9. प्रहलाद पुत्र सुवा
10. मोहन पुत्र सुवा
11. सोहन पुत्र सुवा

    समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

12. जगदीश पुत्र केशरा
13. श्यामलाल पुत्र केशरा
14. मदन पुत्र केशरा
15. शंकर पुत्र केशरा
16. महादेव पुत्र ईशरा
17. गोपाल पुत्र ईशरा
18. लालचन्द पुत्र ईशरा
19. घीसा पुत्र मंगला
20. बक्शा पुत्र मंगला
21. हरसा पुत्र मंगला
22. हनुमान पुत्र नारायण
23. गणेश पुत्र नारायण

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

24. कल्याण पुत्र रुडा

25. काना पुत्र रुडा

26. रामेश्वर पुत्र गंगाराम

27. कालूराम पुत्र गंगाराम

28. मंगली पुत्री गंगाराम

29. मनफूली पुत्री गंगाराम

30. आंचू देवी पुत्री गंगाराम

31. बरजी देवी धर्मपत्नि गंगाराम

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

32. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :—17.05.2017

वादी का वाद इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खाता संख्या 66 में वर्णित खसरा नम्बर 305 रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 304/2 रकबा 0.099 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 307/1221 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नं0 451 रकबा 0.48 है0, खसरा नं0 454 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 462 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 463/1234 रकबा 0.02 हैक्टेयर, कुल किता 7 का कुल रकबा 1.799 हैक्टेयर व खाता संख्या 65 खसरा नम्बर 303 रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम लोहरवाडा तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित है। जो इस वाद में विवादित भूमि है।

विवादग्रस्त आराजीयात् में खाता संख्या 66 में कुल किता 7 का कुल रकबा 1.799 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 1/3 भाग तथा खाता संख्या 66 में शेष हिस्सा 2/3 भाग प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 का है व खाता संख्या 65 में कुल किता 1 का कुल रकबा 0.05 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 1/18 भाग तथा खाता संख्या 65 में शेष हिस्सा 17/18 भाग प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 31 का है। विवादग्रस्त भूमि का विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है तथा समस्त भूमि अविभाजित है।

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 31 दिनांक 15.03.2013 को बाहरी व्यक्तियों को साथ लेकर कब्जा करने के लिये तारबाउन्ड्री खेंचने लगे तथा पत्थरों का ट्रक डाल दिया, जिस पर वादी ने कहा कि भूमि का विभाजन नहीं हुआ है विभाजन करवा लो जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 31 ने कहा कि हमार पास काफी संख्या में आदमी है हमारी इच्छा के अनुसार अच्छी अच्छी जमींन पर कब्जा करेंगे तथा हम ता पुख्ता निर्माण करेंगे। जिससे हमारा कब्जा स्थाई हो जावेगा।

वादी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि न्यायालय श्रीमान् से प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध करवायें कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 31 वादी के उपयोग उपभोग में मजाहमत व मदादखलत नहीं करें तथा बिना विभाजन करवायें विशिष्ट भू–भाग का बेचान हस्तान्तरण नहीं करें तथा विशिष्ट भू–भाग पर पुख्ता निर्माण नहीं करें तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 31 बिना विभाजन करवायें विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा नहीं करें, ना हीं हरे पेडों की कटाई करें। यदि प्रतिवादीगण को पाबन्द नहीं किया गया तो प्रतिवादीगण विशिष्ट भू–भाग को बेचान कर देंगे तथा विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा कर पुख्ता निर्माण कर लेंगे जिससे वाद बहुलता बढेगी तथा भविष्य में भरपाई किया जाना सम्भव नहीं होगा।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत लोहरवाड़ा में पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित। उभयपक्षकारों को सुना गया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद स्थायी निषेधाज्ञा का है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। जबकि एक सहखातेदार अपने दूसरे सहखातेदार को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं करवा सकता। वादी व प्रतिवादीगण आपस में सहखातेदार हैं। अविभाजित भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक भू–भाग पर बराबर हक व अधिकार होता है। प्रकरण में वादी द्वारा मुख्य अनुतोष तकासमे का न चाहकर आनुषंगिक अनुतोष स्थायी निषेधाज्ञा का चाहा गया है। न्यायालय अभिमत में वादीगण को मुख्य अनुतोष के अभाव में आनुसंगिक अनुतोष दिया जाना उचित नहीं है। अतः वादीगण का वाद पत्र मुख्य अनुतोष के अभाव में खसरा नम्बर 305 रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 304/2 रकबा 0.099 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 307/1221 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नं0 451 रकबा 0.48 है0, खसरा नं0 454 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 462 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 463/1234 रकबा 0.02 हैक्टेयर, कुल किता 7 का कुल रकबा 1.799 हैक्टेयर वाके ग्राम लोहरवाडा तहसील चौमूं जिला जयपुर की हद तक खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं खसरा नम्बर 303 रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि किस्म गैर मुमकिन चाह है जिस बाबत पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि वे मौके की

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

यथास्थिति एवं पुख्ता निर्माण नहीं करने हेतु सहमत हैं की हद तक आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद मुख्य अनुतोष के अभाव में खसरा नं0 खसरा नम्बर 305 रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 304/2 रकबा 0.099 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 307/1221 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नं0 451 रकबा 0.48 है0, खसरा नं0 454 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 462 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 463/1234 रकबा 0.02 हैक्टेयर, कुल किता 7 का कुल रकबा 1.799 हैक्टेयर वाके ग्राम लोहरवाडा तहसील चौमूं जिला जयपुर की हद तक खारिज किया जाता है। खसरा नम्बर 303 रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि किस्म गैर मुमकिन चाह वाके ग्राम लोहरवाडा तहसील चौमूं जिला जयपुर में मुताबिक राजीनामा उभयपक्षकारान मौके की यथास्थितिं बनाए रखें एवं पुख्ता निर्माण नही करें। अतः खसरा नम्बर 303 रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि किस्म गैर मुमकिन चाह की हद तक वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है।

डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2017 को न्यांय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम लोहरवाड़ा में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
चौमूँ

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,चौमूँ, जयपुर

(न्याय आपके द्वार लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम लोहरवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रियव्रत सिंह चारण (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–44/2013

उनवान

गोपी पुत्र भूरा, जाति अहीर, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. प्रभूदयाल पुत्र नाथूराम
2. सुरजाराम पुत्र नाथूराम
3. जीवणराम पुत्र नाथूराम
4. श्रवणराम पुत्र नाथूराम
5. गुल्ली पत्नि नाथूराम
6. फूलचन्द पुत्र बंशी
7. मदन पुत्र बंशी
8. शिवंभगवान पुत्र सुवा
9. प्रहलाद पुत्र सुवा
10. मोहन पुत्र सुवा
11. सोहन पुत्र सुवा

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

12. जगदीश पुत्र केशरा
13. श्यामलाल पुत्र केशरा
14. मदन पुत्र केशरा
15. शंकर पुत्र केशरा
16. महादेव पुत्र ईशरा
17. गोपाल पुत्र ईशरा
18. लालचन्द पुत्र ईशरा
19. घींसा पुत्र मंगला
20. बक्शा पुत्र मंगला
21. हरसा पुत्र मंगला

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

22. हनुमान पुत्र नारायण

23. गणेश पुत्र नारायण

24. कल्याण पुत्र रुडा

25. काना पुत्र रुडा

26. रामेश्वर पुत्र गंगाराम

27. कालूराम पुत्र गंगाराम

28. मंगली पुत्री गंगाराम

29. मनफूली पुत्री गंगाराम

30. आंचू देवी पुत्री गंगाराम

31. बरजी देवी धर्मपत्नि गंगाराम

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

32. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः—17.05.2017

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वादी एवं प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू श्री प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि—

वादी का वाद मुख्य अनुतोष के अभाव में खसरा नं0 खसरा नम्बर 305 रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 304/2 रकबा 0.099 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 307/1221 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नं0 451 रकबा 0.48 है0, खसरा नं0 454 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 462 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 463/1234 रकबा 0.02 हैक्टेयर, कुल किता 7 का कुल रकबा 1.799 हैक्टेयर वाके ग्राम लोहरवाडा तहसील चौमूं जिला जयपुर की हद तक खारिज किया जाता है। खसरा नम्बर 303 रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि किस्म गैर मुमकिन चाह वाके ग्राम लोहरवाडा तहसील चौमूं जिला जयपुर में मुताबिक राजीनामा उभयपक्षकारान मौके की यथास्थिति बनाए रखें एवं पुख्ता निर्माण नही करें। अतः खसरा नम्बर 303 रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि किस्म गैर मुमकिन चाह की हद तक वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है।

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .....

.... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 17.05.2017 को जारी किया गया

मोहर

दस्तखत.........
सहायक कलक्टर
ओहदा.......चौमूं (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	
जोड़	3	जोड़	0

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner